विविध बैंक प्रकरण सं0 71/2018(RCMS : 2018/00138) पंजाब नेशनल बैंक, एक निगमित निकास जिसक प्रधान कार्यालय 7, भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा-कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक , बीरबल चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स, जी–54 उद्योग विहार, रिको औ़द्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर(बंधककर्त्ता) 2. श्री कुलदीप गार्गी 13 आनन्द कुटीर, सदर बाजार, श्रीगंगानगर(बंधककर्त्ता) 3. संतोष पत्नि श्री कुलदपीचंन्द गार्गी, नोहरा नम्बर 163 आनन्द कुटीर, सदर बाजार, श्रीगंगानगर(जमानती) 4. श्रीमती संतोष गोयल पत्नि श्री कृष्ण कुमार गोयल, आर.एस.डी. 11 रिद्धि–सिद्धि प्रथम, श्रीगंगानगर(जमानती) 5. श्री कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री संतराम गोयल, आर.एस.डी. 11 रिद्धी–सिद्धी प्रथम, श्रीगंगानगर (जमानती)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री विपिन सिद्ध, अभिभाषक एवं अप्रार्थी ऋणी श्री कुलदीप गार्गी भी उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स वगैरा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में ऋणी द्वारा बंधक रखी गई मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स चल व अचल सम्पत्ति 1. दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादि) 2. फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट नम्बर जी–54(1500 वर्गमीटर) रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 03.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स वगैरा के विरूद्ध ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स की **चल व अचल सम्पत्ति 1. दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादि) 2. फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट नम्बर जी–54(1500 वर्गमीटर) रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 03.08.2018 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर